

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 25/अलवर 1977-78

यह प्रमाणित किया जाता है कि महाराजा श्री अग्रसेन शिक्षण संस्थान खैरती जिला अलवर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम नं. 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 15/11/77 माह अक्टूबर सन् एक हजार नौ सौ अठ्ठावन को अलवर में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थायें

अलवर।